



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-15/2019-391 दिनांक : 02/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/ बोकारो वन प्रमंडल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/ दुमका वन प्रमंडल/ गोड्डा वन प्रमंडल/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/ जमशेदपुर वन प्रमंडल/ सरायकेला वन प्रमंडल/ राँची वन प्रमंडल/ खूंटी वन प्रमंडल/ गुमला वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत देवघर के सरासनी में वनभूमि पर वृक्षारोपण (स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप), जल संरक्षण -सह-वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 185.208 लाख (एक करोड़ पचासी लाख बीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो0ब0-48/2019-35/स्वी0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट- 32/2020-04/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 185.208 लाख (एक करोड़ पचासी लाख बीस हजार आठ सौ रुपये)** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601101580103 | 169.915 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101580323 | 15.293 |
| कुल :- | | 185.208 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ख) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2, तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

ma

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101580103, 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।
14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
- 16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
- (II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।
- (III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।
- (IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।
- (VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।
- (VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।
- (VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।
- (IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।
- (X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।
- (XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।
- (XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य



वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-15/2019-391 दिनांक- 02/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ पलामू/ जमशेदपुर/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/गिरिडीह/ बोकारो/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ जमशेदपुर/ सरायकेला/ राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-15/2019-391 दिनांक- 02/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ धनबाद/ बोकारो/ गिरिडीह/ दुमका/ गोड्डा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ डोरण्डा, राँची/ गुमला/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत देवघर के सरासनी में वनभूमि पर वृक्षारोपण (स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय वर्ष 2021-22 (तृतीय वर्ष) | | |
|----------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | देवघर वन प्रमण्डल, देवघर | 5 | 1.834 | 0.109 | 1.943 |
| योग :- | | 5 | 1.834 | 0.109 | 1.943 |


अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत जल संरक्षण-सह- वृक्षारोपण का कार्य (1000 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय वर्ष 2021-22 (तृतीय वर्ष) | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 10638.15 | 961.00 | 11599.15 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 2 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 3 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल | 150 | 15.957 | 1.442 | 17.399 |
| 4 | बोकारो वन प्रमंडल | 60 | 6.383 | 0.577 | 6.960 |
| 5 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल | 200 | 21.276 | 1.922 | 23.198 |
| 6 | दुमका वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 7 | गोड्डा वन प्रमंडल | 60 | 6.383 | 0.577 | 6.960 |
| 8 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल | 150 | 15.957 | 1.442 | 17.399 |

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय वर्ष 2021-22 (तृतीय वर्ष) | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 10638.15 | 961.00 | 11599.15 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 9 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल | 50 | 5.319 | 0.481 | 5.800 |
| 10 | जमशेदपुर वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 11 | सरायकेला वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 12 | राँची वन प्रमंडल | 100 | 10.638 | 0.961 | 11.599 |
| 13 | खूँटी वन प्रमंडल | 60 | 6.383 | 0.577 | 6.960 |
| 14 | गुमला वन प्रमंडल | 50 | 5.319 | 0.480 | 5.799 |
| 15 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर | 50 | 5.319 | 0.480 | 5.799 |
| 16 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा | 50 | 5.319 | 0.480 | 5.799 |
| 17 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार | 50 | 5.319 | 0.480 | 5.799 |
| 18 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका | 50 | 5.319 | 0.480 | 5.799 |
| योग :- | | 1580 | 168.081 | 15.184 | 183.265 |
| सकल योग :- | | | 169.915 | 15.293 | 185.208 |


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

| क्र० सं० | कार्य विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) | अभियुक्ति |
|----------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (A) | सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी-निकौनी | हे० | 14.00 | 4358.62 | 0.00 | 4358.62 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि) | हे० | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | 12.17 | 3788.89 | | 3788.89 | |
| 4 | घेरान मरम्मति | 6 चेन प्रति हे० | 6.00 | 1867.98 | 0.00 | 1867.98 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 2.00 | 622.66 | 176.00 | 798.66 | |
| योग :- | | | 34.17 | 10638.15 | 961.00 | 11599.15 | |


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-15/2019/391

दिनांक - 02-Jun-2021

| क्रमांक | विषय कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|----------|---|--|
| 1 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24152 | DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी | 183,400.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजार चार सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 2 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24155 | HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 3 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24156 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग: रुपये तेइस लाख ग्यारह हजार
क्रमिक योग:

2,311,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADP, POCE DEV, JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---|
| 4 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24157 | CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी | 1,595,700.00 रुपये पंद्रह लाख पिनचानवे हजार सात सौ |
| 5 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24158 | BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी | 638,300.00 रुपये छः लाख अडतीस हजार तीन सौ |
| 6 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24159 | GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी | 2,127,600.00 रुपये इक्कीस लाख सत्ताइस हजार छः सौ |

योग:

रुपये छः लाख बहत्तर हजार छः सौ

4,361,600.00

क्रमिक योग:

6,672,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

JABALPUR, BCCF DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---|
| 7 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24161 | DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |
| 8 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24162 | GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी | 638,300.00 रुपये छः लाख अड़तीस हजार तीन सौ |
| 9 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24163 | PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी | 1,595,700.00 रुपये पंद्रह लाख पिनचानवे हजार सात सौ |

योग:

रुपये निम्नानवे लाख सत्तर हजार चार सौ

3,297,800.00

क्रमिक योग:

9,970,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL DECE DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|---|
| 10 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24164 | GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पॉच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 11 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24165 | JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |
| 12 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24166 | SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |

योग:

रुपये एक करोड छब्बीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ

2,659,500.00

क्रमिक योग:

12,629,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADIL ECCE DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---|
| 13 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24167 | DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी | 1,063,800.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 14 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24168 | RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी | 638,300.00 रुपये छः लाख अडतीस हजार तीन सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 15 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते | 24169 | GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड अडतालीस लाख तीरसठ हजार नौ सौ

2,234,000.00

क्रमिक योग:

14,863,900.00

NAND KISHORE SINGH)

SABOT, PCCF, DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|---|
| 16 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24170 | JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 17 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24171 | GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 18 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24172 | LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAP 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |

योग:

रुपये एक करोड चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ

1,595,700.00

क्रमिक योग:

16,459,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCO- PCCF DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|---|
| 19 | S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24173 | DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी | 531,900.00 रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 20 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24174 | DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 10,900.00 रुपये दस हजार नौ सौ |
| 21 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24175 | HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |

योग:

रुपये एक करोड सत्तर लाख अठानवे हजार पाँच सौ

638,900.00

क्रमिक योग:

17,098,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

H.D. BOCC DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--|
| 22 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24176 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |
| 23 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24177 | CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 144,200.00 रुपये एक लाख चवालीस हजार दो सौ |
| 24 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24178 | BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ |

योग:

रुपये एक करोड तीहत्तर लाख छयानवे हजार पाँच सौ

298,000.00

क्रमिक योग:

17,396,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

JODI - BOCE DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|--|
| 25 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24179 | GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 192,200.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार दो सौ |
| 26 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24180 | DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |
| 27 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 24181 | GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ |

योग:

346,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड सित्योत्तर लाख बयालीस हजार पाँच सौ

17,742,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

BCC DE V. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--|
| 28 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24182 | PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 144,200.00 रुपये एक लाख चवालीस हजार दो सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 29 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24183 | GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 48,100.00 रुपये अडतालीस हजार एक सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 30 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24184 | JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड अस्सी लाख तीस हजार नौ सौ

288,400.00

क्रमिक योग:

18,030,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

BBL PCCF DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विषय कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|----------|---|--|
| 31 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24185 | SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 32 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24186 | DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 33 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24187 | RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड बयासी लाख अस्सी हजार आठ सौ

249,900.00

क्रमिक योग:

18,280,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

SADDI, BCCF DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---------------------------------|
| 34 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24188 | GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 48,000.00 रुपये अडतालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 35 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24189 | JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 48,000.00 रुपये अडतालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 36 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24190 | GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 48,000.00 रुपये अडतालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड चौरासी लाख चौइस हजार आठ सौ

144,000.00

क्रमिक योग:

18,424,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

SABUL PCCO DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---------------------------------|
| 37 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24191 | LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR | 48,000.00 रुपये अडतालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | |
| 38 | S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय | 24192 | DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA | 48,000.00 रुपये अडतालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | |

योग:

रुपये एक करोड पचचासी लाख बीस हजार आठ सौ

96,000.00

क्रमिक योग:

18,520,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

Sd/- PCCF DEV JHARKHAND